न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर (ग्रामीण)
पीठासीन अधिकारी श्रीमती सीमा कविया, आर.ए.एस.

एफ एस प्रकरण संख्या 25/2023 (2023/363)

प्रार्थी

सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर।

बनाम

अप्रार्थी

लक्ष्मण राम माली पुत्र चम्पालाल माली, फर्म मैसर्स आशीष कुमार एण्ड कम्पनी नगर पालिका के सामने पीपाड सिटी, जोधपुर। निवासी – परिहारों का बेरा, एसडीएम कोर्ट के सामने, पीपाड़ सिटी, जिला जोधपुर।

–:आदेश:– दिनांक :– 29.04.2024

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत परिवाद के अनुसार दिनांक 22.12.2022 को रजनीश शर्मा बाहैसियत खाद्य सुरक्षा अधिकारी गश्त चैंकिग फर्म मैसर्स आशीष कुमार एण्ड कम्पनी नगर पालिका के सामने पीपाड सिटी, जोधपुर पहुंचा व अपना परिचय दिया, परिचय पत्र दिखाया। इस समय एफबीओ/मालिक की हैसियत से लक्ष्मण राम माली उपस्थित मिले तथा आम जनता को विक्रय हेतु खाद्य पदार्थ देशी घी (गोस्तन) एवं देसी घी (जरसी) रखे हुए थे। उक्त खाद्य पदार्थ मालिक से वर्ष 2022 का खाद्य अनुज्ञा–पत्र मांगा, इन्होने नहीं होना जाहिर किया एवं स्वयं का आधार कार्ड पेश किया। दुकान का निरीक्षण करने पर रैक्स में देशी घी (जरसी) 15 किलोग्राम के 18 टिन कुल मात्रा 225 किलोग्राम आम जनता को विक्रय हेतु रखे थे। इसका निरीक्षण करने पर मिलावट/अमानक स्तर का शक होने पर इसकी जांच एफ एस एस एक्ट के तहत कराने के लिए रूबरू गवाह के सामने विक्रेता को प्रपत्र एवं 5ए भरकर दिया। प्रपत्र 5ए पर रसीद प्राप्त की। प्रपत्र पर मेरे, विक्रेता एवं गवाह के हस्ताक्षर है। रूबरू गवाह के सामने विक्रेता देशी घी (जरसी) 15 किलोग्राम के टिन को टिकडी के विपरीत साईड से खोलकर 800 ग्राम देशी घी (जरसी) एक साफ सुखी एवं खाली स्टील भगोनी में खरीद किया गया जिसका रूपये 304/– नगर रूबरू गवाह देकर वास्ते जांच नमूनीकरण हेतु खरीदा तथा रूपयों की रसीद प्राप्त की। जिस पर मेरे, विक्रेता व गवाह के हस्ताक्षर हैं, जिसकी असल प्रति सलंग्न है।

विक्रेता व गवाह के सामने देशी घी (जरसी) 800 ग्राम को हिला मिला कर एक रूप कर चार साफ सुखी खाली एवं नयी नमूना शिशियों में बराबर–बराबर डालकर एयर टाईट बन्द कर इन भागों हेतु चार लेबल तैयार किये जिस पर डी.ओ.कोड व सीरियल नम्बर एम–3115 खाद्य पदार्थ का विवरण एंव नमुना लेने का स्थान एवं दिनांक अंकित की गई। मैने, गवाह व विक्रेता ने लेबल पर [illegible] किये। चारों नमूनों पर उपरोक्त लेबल चिपकाया। इन चारों नमूनों को अलग अलग [illegible] कागज से लपेटा एवं कागज के दोनों

Signature Not Verified
Digitally signed by Seema Kavia
Date: 2024.05.24 18:33:26 IST
Reason: SelfAttested

किनारों को गोंद से चिपकाया, चार पेपर स्लिप एम–3115 हस्ताक्षर युक्त अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थय अधिकारी, जोधपुर के नियमानुसार प्रत्येक नमूनें पर सिर से होते हुए नीचें पेदें तक गोंद से चिपकाई चारों नमूनों को अलग–अलग मोटे मजबूत धागे से बांधा एवं धागे की गांठ लगाई प्रत्येक नमुना पर नियमानुसार चार–चार सील चपडी की लगाई एक नमूनें के सिर पर एक पेदें पर एक बॉडी पर एवं एक धागे की गांठ पर लगाई एवं चारों नमूनों पर अपने हस्ताक्षर किये व विक्रेता के नियमानुसार आधे स्लिप से होते हुए आधे रेपिंग पेपर पर क्रॉस करवाते हुये हस्ताक्षर करवाये, गवाह के हस्ताक्षर करवायें तथा चारों नमूनों को सीलबन्द अवस्था में अपने कब्जे मे किया मौका फर्द मौके पर तैयार किया पढकर पढाकर समझाकर होश हवास में मैने, गवाह व विक्रेता ने हस्ताक्षर किये। जिस सील से नमूना एम–3115 सील चपडी किया उसका मोनोग्राम मौके पर ही मौका फर्द पर अंकित किया। उपरोक्त समस्त कार्यवाही मैने स्वयं गवाह व विक्रेता के सामने मौके पर ही की, असल मौका फर्द सलंग्न है।

कार्यालय पंहुच कर फार्म नम्बर 6 की प्रतिया तैयार की गयी जिन पर खाद्य विश्लेषक, जोधपुर का पता अंकित किया गया एंव जिस सील से नमूना सिल्ड किया गया उसका सील इम्प्रेशन अंकित किया गया। फार्म नम्बर 6 की एक–एक प्रति प्रत्येक नमूना भाग के साथ रखकर नमूनो को पुनः आउटर कवर मे लपेट कर मोटे धागे से बांधकर नियमानुसार सिल चपडी से सिल्ड किया गया। फार्म नम्बर 6 की दो प्रतिया अलग से एक लिफाफे मे रखकर सिल चपडी से सिल्ड किया एंव उस पर खाद्य विश्लेषक, जोधपुर का पता अंकित किया गया उक्त एक सिल्ड नमूना एंव सिल्ड लिफाफा स्वयं के द्वारा दिनांक 23.12.2022 को खाद्य विश्लेषक खाद्य सुरक्षा एंव मानक प्रयोगशाला जोधपुर को वास्ते जांच जमा करवाकर रसीदे प्राप्त की जो अलग–अलग असल सलंग्न है।

एम–3115 नमूने के द्वितीय, तृतीय भाग अभिहित अधिकारी जोधपुर को दिनांक 22.12.2022 को एंव चतुर्थ भाग दिनांक 22.12.2022 को जमा कराये गये जिनकी प्राप्ती रसीद दोनो अलग–अलग मूल सलंग्न हैं।

अभिहित अधिकारी जोधपुर के पत्र क्रमांक 76–77 दिनांक 16.01.2023 के साथ संलग्न खाद्य विश्लेषक खाद्य सुरक्षा एंव मानक प्रयोगशाला जोधपुर की मूल जांच रिपोर्ट एल. एस. 2133 / एक्ट / 2022 / 19 दिनांक 04.01.2023 लक्ष्मण राम माली को नियम 2.4.6 (1) एवं धारा 46 (4) के तहत अग्रिम कार्यवाही हेतु सूचनार्थ प्रेषित की गई तथा मुझे एक मूल प्रति प्राप्त हुई। रिपार्ट के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ देशी घी (जरसी) निर्धारित मानक कोटि का नहीं होने के कारण असुरक्षित (Unsafe) एवं मिथ्याछाप (Misbranded) का होना पाया गया, अग्रेषण पत्र मय जांच रिर्पोटे सलंग्न है। फर्म के मालिक लक्ष्मणराम माली के उक्त देशी घी (जरसी) की पुनः जांच रेफरल लेबोरेटरी पूणे से पुनः जांच आवेदन दिनांक 25.01.2023 मय खाद्य रजि0 2[illegible]00102 जारी दिनांक 09.01.2023 मय पहचान पत्र अभिहित अधिकारी, जोधपुर के द्वारा नमूना संख्या एम–3115 नियमानुसार जरिये मेमोरेण्डम संख्या 182–184 दिनांक [illegible]2023 के द्वारा निदेशक रेफरल फूड लेब,

Signature Not Verified
Digitally signed by Seema Kavia
Date: 2024.05.24 18:33:26 IST
Reason: SelfAttested

पुणे को भिजवाया गया जिसकी जांच रिपोर्ट RLP/P/DO/103/23/143/2023 दिनांक 10.03.2023 के अनुसार उक्त देशी घी अमानक स्तर (Sub-standard) होना पाया गया। लक्ष्मण राम माली को उक्त देशी घी (जरसी) की आगामी खरीद हेतु इनवाईस नहीं होने बाबत् उनके द्वारा पत्र प्रेषित किया गया जो की धारा 27 की उपधारा (3)(d) का उल्लघंन है। इस प्रकार अप्रार्थी ने एफ0 एस0 एक्ट की धारा 26 की उपधारा (2)(ii)(v) एवं धारा 27 की उपधारा (3)(d) का उल्लंघन किया है जो कि धारा 51 एवं धारा 58 के अन्तर्गत जुर्माने योग्य अपराध है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी ने न्यायालय में उपस्थित होकर दिनांक 13.03.2024 को जबाव पेश किया। प्रार्थी व अप्रार्थी दिनांक 16.04.2024 को न्यायालय मे उपस्थित हुए तथा प्रकरण में बहस सुनी जाकर पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 29.04.2024 को रखी गई।

प्रार्थी ने बहस में बतलाया कि अप्रार्थी के प्रतिष्ठान से खाद्य पदार्थ देशी घी (जरसी) का नमूना लिया गया। अभिहित अधिकारी जोधपुर के पत्र क्रमांक 76—77 दिनांक 16.01.2023 के साथ संलग्न खाद्य विश्लेषक खाद्य सुरक्षा एंव मानक प्रयोगशाला जोधपुर की मूल जांच रिपोर्ट के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ देशी घी (जरसी) निर्धारित मानक कोटि का नहीं होने के कारण असुरक्षित (Unsafe) एवं मिथ्याछाप (Misbranded) का होना पाया गया। उक्त देशी घी (जरसी) की पुनः जांच रेफरल लेबोरेटरी पूणे से पुनः जांच आवेदन दिनांक 25.01.2023 मय खाद्य रजि0 22223074000102 जारी दिनांक 09.01.2023 मय पहचान पत्र अभिहित अधिकारी, जोधपुर के द्वारा उक्त नमूना संख्या एम—3115 नियमानुसार जरिये मेमोरेण्डम संख्या 182—184 दिनांक 07.02.2023 के द्वारा निदेशक रेफरल फूड लेब, पुणे को भिजवाया गया जिसकी जांच रिपोर्ट RLP/P/DO/103/23/143/2023 दिनांक 10.03.2023 के अनुसार उक्त देशी घी (Sub-standard) होना पाया गया। लक्ष्मण राम माली को उक्त देशी घी (जरसी) की आगामी खरीद हेतु इनरवाईस नहीं होने बाबत् उनके द्वारा पत्र प्रेषित किया गया जो की धारा 27 की उपधारा (3)(d) का उल्लघंन है। इस प्रकार अप्रार्थी ने एफ0 एस0 एक्ट की धारा 26 की उपधारा (2)(ii)(v) एवं धारा 27 की उपधारा (3)(d) का उल्लंघन किया है जो कि धारा 51 एवं धारा 58 के अन्तर्गत जुर्माने योग्य अपराध है। अन्त में अप्रार्थी पर अधिकतम से अधिकतम जुर्माना अधिरोपित करने की प्रार्थना की।

अप्रार्थी ने जबाव पेश कर बतलाया कि मेरे द्वारा विक्रय हेतु रखे गये देशी घी (जरसी) में किसी तरह की मिलावट नहीं की गई ना ही मेरी तरफ से किसी तरह की गलती की गई। मेरे द्वारा कोई मिलावट नहीं की गई। अप्रार्थी ने बताया कि भविष्य में इस तरह की पुनरावर्ति नहीं करूंगा। जबाव को ही बहस मानते हुए कम से कम शुल्क से दण्डित किये जाने जाने की प्रार्थना की।

Signature Not Verified
Digitally signed by Seema Kavia
Date: 2024.05.24 18:33:26 IST
Reason: SelfAttested

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थी की बहस पर मनन किया। इस प्रकरण में यह तथ्यात्मक स्थिति है कि अप्रार्थी की फर्म मैसर्स आशीष कुमार एण्ड कम्पनी नगर पालिका के सामने पीपाड सिटी, जोधपुर से खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा जांच हेतु खाद्य पदार्थ देशी घी (जरसी) निर्धारित मानक कोटि का नहीं होने के कारण अमानक स्तर (Sub-standard) का होना पाया गया। जो एफ.एस.एस. एक्ट की धारा 26 की उपधारा (2) (ii) का उल्लंघन किया जो धारा 51 एवं 58 के अन्तर्गत जुर्माने योग्य अपराध है। इसके साथ ही आगामी खरीद हेतु इनरवाईस नहीं होने बाबत् अप्रार्थी द्वारा खाद्य सुरक्षा अधिकारी को पत्र प्रेषित किया गया जो की धारा 27 की उपधारा (3)(d) का उल्लघंन है। अधिनियम की मंशा अनुरूप लोक स्वास्थ्य की सुरक्षा को सुनिश्चित करना इस न्यायालय का उद्देश्य है।

अप्रार्थी लक्ष्मण राम माली पुत्र चम्पालाल माली पर शास्ती रूपये 10,000/– अक्षरे दस हजार रूपये की आरोपित की जाती है। अप्रार्थी उपरोक्त शास्ती राशि निर्णय के एक माह के अंदर–अंदर निर्धारित मद में जमा करवाकर रसीद प्रस्तुत करें।

आदेश आज दिनांक 29.04.2024 को खुले न्यायालय में लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(सीमा कविया)
न्याय निर्णयन अधिकारी एंव
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर (ग्रामीण)

प्रतिलिपीः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

क्रमांकः कोर्ट/एडीएम/जोधपुर(ग्रामीण)/2024/ दिनांक :–

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. खाद्य सुरक्षा आयुक्त एवं निदेशक (जन स्वास्थ्य) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं, राज0, जयपुर।
2. अभिहित अधिकारी(खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर।
3. लक्ष्मण राम माली पुत्र चम्पालाल माली, फर्म मैसर्स आशीष कुमार एण्ड कम्पनी नगर पालिका के सामने पीपाड सिटी, जोधपुर। निवासी – परिहारों का बेरा, एसडीएम कोर्ट के सामने, पीपाड़ सिटी, जिला जोधपुर।

(सीमा कविया)
न्याय निर्णयन अधिकारी एंव
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर (ग्रामीण)

Signature Not Verified
Digitally signed by Seema Kavia
Date: 2024.05.24 18:33:26 IST
Reason: SelfAttested